सेवा में,

श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जनपद खीरी।

महोदय,

निवेदन है कि मु0अ0सं0 219/21 धारा 147,148,149,279,338,304ए,302,120बी भा0द0वि0 बनाम आशीष मिश्रा उर्फ मोनू आदि दिनांक 03.10.2021 को पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना मुझ निरीक्षक द्वारा की जा रही है। अभियुक्त 1- आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पुत्र अजय मिश्रा टेनी नि0 बनवीरपुर थाना तिकुनिया खीरी, 2- लवकुश पुत्र रामकिशोर नि0 बनवीरपुर थाना तिकुनिया खीरी, 3- आशीष पाडे पुत्र रामगोपाल नि0 तारानगर थाना निघासन खीरी, 4- शेखर भारती पुत्र राजकुमार नि0 ए.पी. सेन रोड थाना हुसैनगंज लखनऊ, 5- अंकित दास पुत्र गोपालकृष्ण नि0 बापू बनारसी दास भवन छोटा पार्क थाना हुसैनगंज लखनऊ, 6- लतीफ उर्फ काले पुत्र कमरुद्दीन उर्फ कमरू नि0 सैदापुर देवकली थाना कस्ता खीरी, 7- शिशुपाल पुत्र बहोरीलाल नि0 बनवीरपुर थाना तिकुनिया खीरी, 8- नन्दन सिंह बिष्ट पुत्र बच्ची सिंह नि0 लक्ष्मणपुरी थाना गाजीपुर लखनऊ, 9- सत्यम त्रिपाठी उर्फ सत्यप्रकाश त्रिपाठी पुत्र चन्द्रशेखर निवासी अलका महावीरपुर थाना करारी जनपद कौशाम्बी, 10- सुमित जायसवाल पुत्र ओमप्रकाश नि0 अयोध्यापुरी कोत0 सदर खीरी, 11- धर्मेन्द्र बंजारा पुत्र गुरुप्रसाद नि0 चौमाटाण्डा थाना तिकुनिया खीरी, 12- रिंकू राना पुत्र कालीचरन नि0 बरसोलाकला थाना तिकुनिया खीरी, 13- उल्लास कुमार त्रिवेदी उर्फ मोहित त्रिवेदी पुत्र विनोद कुमार नि0 कस्बा थाना सिंगाही खीरी न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे गये हैं जो जिला कारागार में निरुद्ध है।

अब तक की विवेचना व संकलित साक्ष्यों से यह प्रमाणित हुआ कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा उक्त आपराधिक कृत्य को लापरवाही एवं उपेक्षा से नहीं बल्कि जानबूझकर पूर्व से सुनियोजित योजना के अनुसार जान से मारने के नियत से कारित किया [illegible] कई गम्भीर रूप से घायल हुये है एवं कई मजरूबों के फ्रैक्चर होना पाया गया प्रकरण में धारा 279,338,304ए का होना नहीं पाया गया बल्कि धारा 307,326,34 भा0द0वि0 व धारा 3/25/30 शस्त्र अधिनियम का भी अपराध होना पाया गया, इस कारण धारा 279,338,304ए का विलोपन किया गया एवं अन्य धाराओं के साथ धारा 307,326,34 आईपीसी व 3/25/30 भा0द0वि0 की बढोत्तरी की गयी।

अतः अनुरोध है कि मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण उपरोक्त के वारंट पर धारा 147,148,149,307,326,302,34,120बी भा0द0वि0 व धारा 3/25/30 शस्त्र अधिनियम में परिवर्तित करने की कृपा करें।

(निरी0 विद्याराम दिवाकर)
मुख्य विवेचक विशेष अनुसंधान दल
जनपद खीरी।

Sr. Submitted

Sr. Submitted
13.12.21

अभियुक्तगण ... 14-11-2021 ... लखनऊ जेल ...
13/12/21